निवास : 2557378
फैक्स : 2571241
Email : igrebpl@mp.nic.in

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश

पंजीयन भवन, पुरानी विधानसभा के सामने, भोपाल–462003

जी पी सिंघल | **अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1051/तक/2004**

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश | भोपाल, दिनांक 18/03/004

विषय : शराब के ठेकों हेतु भागीदारी फर्मों द्वारा निष्पादित भागीदारी विलेखों (Partnership-deed) पर स्टाम्प शुल्क चुकाए जाने बावत्।

––––

प्रिय श्री

राज्य में शराब के ठेके प्राप्त करने हेतु बड़ी संख्या में भागीदारी फर्मों द्वारा आवेदन किया जाता है। किसी भागीदारी फर्म के गठन हेतु भागीदारों के मध्य भागीदारी विलेख का निष्पादन किया जाना कानूनी आवश्यकता है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की सारणी 1–क के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत ऐसे भागीदारी विलेखों पर निम्नानुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होता है।

(a)	**Where there is no share of contribution in partnership or where such share of contribution does not exceed Rs. 50,000.**	One thousand
(b)	Where such share of contribution is in excess of Rs. 50,000.	Two percent of the share contributed, subject to a maximum of rupees five thousand.

निरंतर....2...

भारतीय स्टाम्प अधिनियम में यह भी प्रावधानित है कि किसी दस्तावेज के आधार पर तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती है या इसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता है, जब तक कि यह सम्यक रूप से स्टाम्पित न हो। अतः कृपया सुनिश्चित करें कि आवेदन करने वाली भागीदारी फर्मों द्वारा प्रस्तुत भागीदारी विलेखों पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, की सारणी 1–क के उक्त अनुच्छेद के अंतर्गत शुल्क चुकाया जाये।

सादर,

भवदीय

(जी.पी. सिंघल

प्रति,

श्री ओ.पी. रावत,
आबकारी, आयुक्त
मध्यप्रदेश, ग्वालियर,

<u>कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर</u>

पृ.क्र./आब/04/ठेका/105 कैम्प–भोपाल दिनांक 19.3.04

प्रतिलिपिः

श्री जी.पी. सिंघल, महानिरीक्षक, पंजीयन, म0प्र. भोपाल की ओर इस अनुरोध के साथ कि निर्देशानुसार समस्त कलेक्टर्स को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया गया है।

उपायुक्त आबकारी
राज्य उड़नदस्ता, म.प्र.
भोपाल

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक अधीक्षक मध्यप्रदेश

क्रमांक 1064/तक/04 *भोपाल, दिनांक 22.3.04*

प्रतिलिपि : समस्त जिला पंजीयक मध्यप्रदेश कृपया तत्काल अपने जिले के कलेक्टर/आबकारी अधिकारी से संपर्क कर सभी भागीदारी विलेखों पर शुल्क का नियमानुसार भुगतान प्राप्त होना सुनिश्चित करें।

जिला पंजीयक
वास्ते महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश